मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

क्रमांक 6-771 /सात/मा-2बी/93 भोपाल, दिनांक 29/6/93

2818/93

कलेक्टर कार्यालय सिवनी. 12 SEP 1993

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सिवनी (म0प्र0)

विषय:- नगर सिवनी में केन्द्रीय विद्यालय हेतु भूमि आबंटन ।

राज्य शासन ग्राम डूडा तहसील सिवनी जिला सिवनी स्थित खसरा नं. 471 एवं 473 में से 15 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु बिना प्रब्याजि किन्तु नाम मात्र पूंजीकृत मूल्य रूपये 25/- लेकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को सिवनी में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्थाई पट्टे पर आबंटन करने की निम्नानुसार शर्तों पर (सामान्य शर्तों के साथ निम्न विशेष) स्वीकृति प्रदान करता है :-

(1) यह कि यदि दी गई भूमि उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़ जिसके लिए दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाय, तो शासन उसे वापस ले लेगा ।

(2) यह कि यदि दी गई भूमि किसी भी समय राज्य शासन द्वारा वापस ले ली जाय तो उसके मुआवजे की रकम भूमि प्राप्त करने के लिए शासन को भुगतान की गई रकम (यदि कोई हो) और साथ ही भूमि ग्रहिता द्वारा भूमि की लागत या उनके वर्तमान मूल्य जो भी कम हो से अधिक नहीं होगा।

(3) यह कि यदि भूमि ग्रहिता की ओर से शर्तों के भंग किए जाने के परिणाम स्वरूप शासन द्वारा भूमि वापिस ले ली जाए तो शासन निम्नलिखित दो बातों में से कोई भी कर सकता है :-

(क) भूमि पर निर्मित की गई किन्हीं इमारतों को उनकी लागत अथवा वर्तमान मूल्य जो भी कम हो का भुगतान कर अपने अधिकार में लेना अथवा,

(ख) भूमि ग्रहिता से यह कहना कि वह इमारतों को हटा दे और शासन द्वारा नियत उचित अवधि में उसको मूल स्थिति में ला दे यदि भूमि ग्रहिता इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो इमारत अथवा इमारतें शासन के कब्जे में चली जायेगी ।

...2..

2/- आदेश जारी होने की तिथि से भूभाटक व प्रब्याजि की सम्पूर्ण राशि व पूंजीकृत मूल्य की राशि छः माह के अन्दर जमा करावे यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रब्याजि व पूंजीकृत मूल्य जमा नही करते है तो आवंटन आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृ०क्र० 727/भ्र/1056/चार-4-58 दिनांक 23-8-91 द्वारा महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

4/- आपके कार्यालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक 100/अ-19/91-92 मूलतः लौटाया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा,
आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(एस० सी० शुक्ला)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ०क्र० /सात/सा-2बी/93 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियो सहित सचिव म०प्र०शासन वित्त विभाग भोपाल की ओर आदेश की प्रति महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।

2/- आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर-उनके ज्ञाप क्रमांक 1076/एक/92 दिनांक 5 मई 92 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

3/- प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय सिवनी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
म०प्र०शासन, राजस्व विभाग.